प्रेस नोट
दिनांक 24.05.2024

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद ड्रम चारकोल, 10,000 रू0 नगद व 01 अदद टाटा सफारी गाड़ी बरामद–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–148/24, धारा 379,411 भादवि से शातिर चोर– विनय निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद ड्रम चारकोल, 10,000 रू0 नगद व 01 अदद टाटा सफारी गाड़ी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 22.05.2024 को वादी संजीव कुमार तिवारी पुत्र अयोध्या प्रसाद तिवारी नि0 देवरदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी रोड बनाने की साइड का काम साधुगंज चौराहा से पसियन पुरवा चंगेरी मार्ग पर चल रहा है। अज्ञात चोरो द्वारा 09 ड्रम तारकोल की चोरी की गयी है। वादी की तहरीर पर थाना उमरीबेमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें से दिनांक 22/23.04.2024 की रात्रि को थाना कर्नलगंज व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 03 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 24.05.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा उक्त मुकदमें में वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त विनय निषाद को सिसई मेठिया पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद ड्रम चारकोल, 10,000 रू0 नगद व 01 अदद टाटा सफारी गाड़ी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. विनय निषाद पुत्र बनवारी लाल नि0 445/77 मल्लाहन टोला थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–148/24, धारा 379,411 भादवि व 207 एम0वी0 ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 02 अदद ड्रम चारकोल।
02. 10,000 रू0 नगद।
03. 01 अदद टाटा सफारी गाड़ी।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 संजीव चौहान।
02. का0 जय प्रकाश उपाध्याय।
03. का0 राहुल कुमार।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>